UPEW010060582022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश

कोर्ट संख्या 3, इटावा।

दण्ड प्रकीर्ण संख्या–3043/2022

गायत्री देवी प्रति अनिल कुमार आदि

थाना ऊसराहार, इटावा।

धारा 156(3) दं०प्र०संहिता

दिनांक 20.12.2022

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थिनी गायत्री देवी की ओर से प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र० सं० विपक्षीगण अनिल कुमार, राजीव कुमार, मंजीत, किरन देवी, अनीता, मन्टी के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी अनिल ने प्रार्थिनी के घर आकर कहा कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बकरियां चोरी की हैं। प्रार्थिनी ने कहा कि उसका पुत्र ट्रक पर हेल्परी करता है। काफी दिनों से वह घर नहीं आया इसी बात को लेकर दिनांक 10.08.2022 को रात्रि करीब 11 बजे सभी विपक्षी अनिल अपने हाथ में फरसा, संजीव कुमार कट्टा तथा अन्य विपक्षीगण अपने अपने हांथों में डंडा लेकर प्रार्थिनी के घर में घुस आये और बक्से में रखे 2,50,000/– रूपये, सोने की अंगूठी, एक मंगलसूत्र विपक्षीगण ने लूट लिया। प्रार्थिनी ने दिनांक 16.02.2022 को प्रार्थिनी ने अपना प्लाट बेंचा था उसी के पैसे बचे हुए रखे थे। विपक्षीगण ने अपने हांथों में लिए डंडा, फरसा व असलहा से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। इस घटना को गांव के काफी लोगों ने बल्ब की रोशनी में देखा। प्रार्थिनी डर की वजह से थाने नहीं जा सकी। छिप छिपाकर इटावा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया परंतु कोई सुनवाई नहीं हुयी तब प्रार्थिनी ने पुनः दिनांक 19.09.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया परंतु कोई कार्यवाही न होने पर उसने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त आधारों पर मुकदमा पंजीकृत कराने की प्रार्थना की गयी है। अपने समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में रजिस्ट्री रसीद व प्रार्थनापत्र एस०एस०पी०,

इटावा एवं विक्रयपत्र की प्रति दाखिल किये गये हैं।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उपरोक्त वर्णित घटना के सम्बंध में कोई अभियोग थाने पर दर्ज नहीं है।

प्रार्थनापत्र पर प्रार्थिनी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम उ.प्र.राज्य,2001(43) ए.सी.सी., इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आँफ यू.पी.2005(2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट आँफ यू.पी. एवं अन्य 2009(3)जे.आई.सी.779, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2008(1)ए.सी.आर. 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2005(1) ए.सी.आर.155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2001(42) ए.सी.सी.459(सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानन्द हरी साक्षी व अन्य 2001(सप्लीमेंट्री) ए.सी.सी.957(सुप्रीम कोर्ट)** में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

प्रार्थनापत्र अंतर्गत 156(3) दं०प्र०सं० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० दिनांक 25.01.2023 को पेश हो। तदनुसार प्रार्थनापत्र अंतर्गत 156(3) दं०प्र०सं० निरस्तारित किया जाता है।

विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटावा।